तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2408/2006/नागौर सरकार बनाम रिछपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

आदेश

दिनांकः02–12–19.

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 16–12–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, डीडवाना ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल बंदोबस्त संवत् 2006 मौजा सांनियां अनुसार खसरा नं0 47/1 रकबा 1.15 बीघा किस्म भूमिग गैर मु0 तालाब राजकीय भूमि दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त में उक्त आराजी को खसरा नं0 475 रकबा 20.06 बीघा किस्म बारानी प्रथम में शामिल करते हुए नंदसिंह पुत्र शोभसिंह कौम राजपूत सा0 देह को खातेदार दर्ज कर दिया गया। नंदसिंह के फौत होने पर जरिये उत्तराधिकार रिछपालसिंह, जगदीश सिंह, मदनसिंह पि0 नंदसिंह सा0 देह के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2408/2006/नागौर सरकार बनाम रिछपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम खातेदारी दर्ज हो गई। भूमि की किस्म गैर मु0 तालाब होने के कारण इसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि बाबत् की गई उक्त कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत होने से अवैध व प्रभावशून्य है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 02–08–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई हो तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। अतः रेफरेंस मंजूर किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चूँकि अभिलेख से विवादित भूमि जलीय निकाय (water body) होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। हमारी सुविचारित राय में विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब होने के कारण यह भूमि आवंटन एवं नियमन योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसी भूमि भू राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2408/2006/नागौर सरकार बनाम रिछपालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02–08–2004 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त किस्म की भूमि को वापिस दिनांक 15–08–1947 की स्थिति में बहाल किया जावें। ऐसी स्थितिं में राज्य की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 से 3 की खातेदारी को निरस्त कर उसे सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	